डा. सत्यनारायण जटिया: मेरा यह कहना है कि इस योजना को निजी अस्पतालों तक विस्तार दिया जाए और उसमें सभी प्रकार की उपचार की सुविधाएं हों। कही-कही उपचार की सुविधाएं और सीमित कर दी गई हैं, तो सभी प्रकार के उपचार की सुविधाएं देकर उनको लाभान्वित करना चाहिए। इस योजना के लिए मैं पुन: प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद।

Demand for 'National Maritime Heritage Festival' status to Bali jatra at Cuttack

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Thank you, hon. Chairman, Sir, for giving this opportunity. This is an issue which is extremely close to the hearts of the people of Odisha. I rise to place my demand for according National Maritime Heritage Festival status to the Bali Jatra Festival of Odisha which happens in Cuttack. Sir, to appreciate what is Bali Jatra, we need to go back into history. This is an ancient festival which is held in the city of Cuttack in Odisha which commemorates the glorious tradition of seafaring activities of Odia mariners, who were called as the Sadhvas in the ancient times. These Sadhvas used to sail to distant lands in those days when globalisation was not there. They used to go to the distant lands of Bali, Sumatra, Java and Borneo for trade and cultural expansion. This trade and cultural expansion which connected the Kalinga era and the ancient era of Odisha, with the South-East Asia is celebrated through the Bali Jatra. It takes place in Cuttack, the Millennium City. Therefore, it has rich social and cultural importance. Our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik has demanded that National Maritime Heritage Festival status be accorded to the Bali Jatra, through a letter to the hon. Tourism Minister on 12th November, 2019. Sir, I would like to reiterate that Bali Jatra has got strong ties with the people of Odisha, has strong cultural ethos with the people of Odisha and, therefore, by according this status, we are not only looking at heritage but actually we are remembering the rich history that Odisha and India has on seafaring.

SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, I also associate myself with the matter raised by hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI: Sir, I also associate myself with the matter raised by hon. Member.

SHRIMATI SAROJINI HEMBRAM (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by hon. Member.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Sir, I also associate myself with the matter raised by hon. Member.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Sir, I also associate myself with the matter raised by hon. Member.

Need to ensure water share of Rajasthan as per the Inter-State water agreement

डा. किरोड़ी लाल मीणा (राजस्थान): माननीय सभापति जी, रावी, व्यास नदियों के एडिशनल वॉटर के एम.ओ.यू. के संबंध में, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, 31-12-1981 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के मध्य रावी, व्यास के एडिशनल वॉटर के संबंध में एक एम.ओ.यू. हुआ था। उसका जो टोटल एडिशनल वॉटर है, वह 17.17 MAF है, उसमें से राजस्थान का हिस्सा 8.06 MAF बनता था। राजस्थान को अभी तक 8 MAF पानी मिल रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो 0.60 MAF पानी बकाया है, उसे राजस्थान को दिलवाया जाए। इसके लिए राजस्थान सरकार ने BBMB पंजाब और केन्द्र को भी कई बार निवेदन किया है। इस समय फसल का समय है, इसलिए मेरी मांग है कि इस अतिरिक्त पानी को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

सभापति महोदय, इसी तरह से घग्गर नदी सहित अन्य नदियों का पानी पंजाब के द्वारा राजस्थान की नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण जबरदस्त प्रदूषण हो रहा है, इस पर केन्द्र सरकार cognigence ले। दूसरा, ताजेवाला हैड पर समझौता हुआ है और उस पर हरियाणा हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, जिससे राजस्थान के झुंझुनू और चुरू जिलों को पानी मिलना है। एक सिद्धमुख नहर का मामला लम्बित है, जिसमें भाखड़ा मेन लाइन से पानी राजस्थान को मिलेगा, उस पर कार्रवाई हो। BBMB में राजस्थान पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि राजस्थान को पूर्णकालिक सदस्य नॉमिनेट किया जाए। रोपड़-फिरोजपुर सिंचाई हैडक्वार्टर का नियंत्रण भी BBMB के पास हो। सतलुज-यमुना लिंक नहर की बैठकों में राजस्थान का प्रतिनिधि भी बुलाया जाए। राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, टोंक तथा नागौर आदि जिलों में हरियाणा की गुरुग्राम केनाल का पानी जा सकता है, जो कि यमुना से आता है। बरसात में ज्यादा पानी यमुना में आ जाता है, उस अतिरिक्त पानी को राजस्थान के इन जिलों के लिए उपलब्ध कराया जाए। सभापति महोदय, 12 मई, 1994 में यमुना नदी के जल बंटवारे के लिए राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच 30 साल के लिए एक एम.ओ.यू. हुआ था। इसमें राजस्थान के चुरू, झुंझुनू जिलों 1.19 बिलियन क्यूबिक पानी मिलना था। अपर यमुना रिवर बोर्ड ने भी इस समझौते को 1995 में मंजूरी दे दी थी।